

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर  
पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 18/2026

प्रार्थी –

राजस्थान सरकार जरिये खाद्य  
सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण –

1. सौरभ कुमार सिंघवी पुत्र रमेश कुमार जाति जैन निवासी ढाणी बाजार, जूना केराडू मार्ग, बाड़मेर (मैसर्स महावीर सेल्स कॉरपोरेशन कृषि उपज मण्डी बाड़मेर का गोदाम का विक्रेता)
2. गौतम चंद मालू पुत्र चंपालाल जाति जैन निवासी ढाणी बाजार, जूना केराडू मार्ग, बाड़मेर (मैसर्स महावीर सेल्स कॉरपोरेशन कृषि उपज मण्डी बाड़मेर का गोदाम का मालिक)
3. सुखाडिया अशोक भाई नाथाभाई निवासी पटेल समाज के पास, ईश्वरीय मंडावद, विसावद, जूनागढ़ विसावदर गुजरात (मैसर्स श्री राधे डेयरी फॉर्म एण्ड फूड्स लिमिटेड 40 to 54 गोवर्धन इंडस्ट्रीयल ऐस्टेट तहसील मंगरोल जिला सूरत का नोमिनी निर्माता फर्म)
4. फर्म:— श्री राधे डेयरी फॉर्म एण्ड फूड्स लिमिटेड 40 to 54 गोवर्धन इंडस्ट्रीयल ऐस्टेट B/h टेलिफोन एक्सचेंज ऑफिस, न्यू सियालाज कॉलोनी, पीपोदरा, किम चार रास्ता के पास तहसील मंगरोल जिला सूरत का निर्माता फर्म



न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

**परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा  
एवं मानक अधिनियम, 2006**

उपस्थिति :-

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

**आदेश**


दिनांक : 07.04.2026

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म महावीर सेल्स कॉरपोरेशन कृषि उपज मण्डी बाड़मेर का गोदाम पर निरीक्षण दिनांक 02.08.2025 को खाद्य पदार्थ घी (वास्तु) Cow's Ghee 500-500 मिलीलीटर के 33 गत्ता कार्टूनों में विक्रय हेतु पड़े थे, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार घी (वास्तु) Cow's Ghee में से 500-500 लीटर के 4 जार वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या पी-2915 अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र-5(ए) भरकर अप्रार्थीगण एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ घी (वास्तु) Cow's Ghee का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ घी (वास्तु) Cow's Ghee का नमूना अवमानक (Substandard) पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।
2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की निर्दिष्ट खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक 13.08.2025 में उक्त नमूना अवमानक (Substandard) स्तर का पाया गया है। निर्दिष्ट प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट अनुसार Iodine Value का मानक स्तर 25-38 के मुकाबले 38.71 पाया गया है एवं Test for foreign fat का मानक स्तर Should be absent के मुकाबले Present पाया गया है जो कि मानक स्तर का नहीं है। इस पर प्रार्थी की ओर से यह परिवाद प्रस्तुत होने पर जरिये नोटिस जवाब हेतु अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित। इस प्रकार अप्रार्थीगण के द्वारा खाद्य पदार्थ के नमूने के अवमानक पाये जाने के संबंध में कोई ठोस एवं तथ्यात्मक प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किया है। उक्त उल्लेखित विधिक प्रावधान हस्तगत प्रकरण पर प्रयोज्य नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा उसके व्यवसाय में जिस खाद्य पदार्थ का विक्रय किया जा रहा था, उसकी गुणवत्ता व मानकता के प्रति उनके दायित्व से विमुक्ति का प्रयास किया गया है। अप्रार्थी की फर्म से लिया गया खाद्य पदार्थ का नमूना अवमानक पाया गया है तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये विनियमों की सम्पूर्ण पालना किया जाना आवश्यक एवं बाध्यकारी है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।
4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरुद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 2 पर संयुक्त रूप से रूपये 1,25,000/- एवं अप्रार्थी संख्या 03 व अप्रार्थी संख्या 04 पर संयुक्त रूप से रूपये 1,25,000/- जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष में जमा करवाने हेतु भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 18/2026/खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम सौरभ कुमार सिंघवी व अन्य

5. आदेश आज दिनांक 07.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(राजेन्द्र सिंह चांदावत) एव  
न्याय निपटण अधिकारी एव  
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर